संख्या- 172 /2026/ 1071 /चार-2026-1938958

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2026**

विषय:-उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ कार्यालय के शासकीय कार्यो के निष्पादन हेतु एक वाहन (टैक्सी) उपयोग करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के पत्र संख्या- 2043/नौ-31/2024-25 टी0सी0 दिनांक 24 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यालय उपयोगार्थ मासिक किराया दर पर वाहन प्रयोग किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ कार्यालय के विभिन्न शासकीय कार्यों/ दायित्वों के सुचारू रूप से निष्पादन हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम अनुमोदित दर रू0 45,150/- प्रतिमाह (जी0एस0टी0 व अतिरिक्त चार्जेज पृथक से) पर निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ को अनुमति प्राप्त होने की तिथि से मार्च, 2027 तक पूर्व अनुमन्य डिजायर वाहन (टैक्सी) का उपयोग करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निमनलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) अपटुअर्स लखनऊ की डिजायर टैक्सी की दर उक्त दरों से न्यून (कम) हैं। अत: अपटुअर्स लखनऊ की दरों पर अनुमोदित किया गया है।

(2) जिस अधिकारी के साथ वाहन सम्बद्ध किया जाना है, उसकी अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(3) जिस कार्य हेतु वाहन आबद्ध किया जा रहा है, उसकी न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन करेंगे।

(4) वाहन को जेम पोर्टल के माध्यम से आबद्ध किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-104-अभिलेखागार- 03-राज्य अभिलेख-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in